मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंड बैंक

और एक और (राजेश बिंदल, जे.)

राजेश बिंदल और गुरविंदर सिंह गिल से पहले, जे. जे.

मेसर्स गुप्ता और कंपनी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब और सिंड बैंक और प्रतिवादी

सी. डब्ल्यू. पी. No.22529 का 2015

04 अक्टूबर, 2017

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन। 13 (2) और 13 (4)-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908। 16 से 20-ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम, 1993-धारा 19 डी. आर. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1993-आर. एल. 6-याचिकाकर्ताओं ने पंजाब एंड सिंध बैंक, चंडीगढ़ से ऋण जुटाया-बैंक द्वारा ऋण को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत करने के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत एक मांग नोटिस जारी किया गया था-पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों और चंडीगढ़ में स्थित घर का उल्लेख किया गया था-इसके बाद, बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत कब्जा नोटिस जारी किया-याचिकाकर्ताओं ने 2013 का एस. ए. 334 दाखिल करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया 15.01.2014 के ऑर्डर के तहत **बैंक को चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति को बिक्री पर रखने की अनुमति दी गई थी-इसके बाद, दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के अनुसार न्यायाधिकरण ने चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।**

अभिनिर्धारित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मेसर्स

एशियन हेल्थ एंड न्यूट्री फूड्स लिमिटेड का मामला (ऊपर), विचार किया गया

कुछ इसी तरह का प्रस्ताव जहां कब्जे की सूचना में उल्लिखित संपत्तियां न केवल तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जिलों में, बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी स्थित थीं।इसमें ऋण स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सलेम शाखा से लिया गया था।सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत ऋण वसूली न्यायालय, मदुरै पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर वापस कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायालयों से संपर्क करना चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक संपत्ति स्थित थी।याचिकाकर्ताओं ने इसमें एक 76 दायर किया था।

विभिन्न राज्यों में स्थित सभी संपत्तियों के विवरण का उल्लेख करने वाले कब्जे के नोटिस को चुनौती देने वाला आवेदन।उक्त आदेश पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष आपत्ति जताई गई थी।डी. आर. टी. अधिनियम की खंड 19 और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले डी. आर. टी. नियमों के नियम 6 की जांच और विश्लेषण करते हुए, यह राय दी गई कि आवेदन को वापस करने में न्यायाधिकरण की कार्रवाई अवैध थी और मदुरै में न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता थी।सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया गया था, विशेष रूप से इसकी खंड 17 में प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता के आधार पर सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था और यह भी कहा गया था कि मुकदमे के एक पक्ष को कार्रवाई के एक ही कारण के लिए अलग-अलग अदालतों में नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न संपत्तियों से संबंधित अधिकार क्षेत्र जिसके लिए राहत मांगी गई है, अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में स्थित हैं, हालांकि वाद हेतुक समान है।

(पैरा 13)

रोहित सूरी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

एस. सी. अरोड़ा, प्रतिवादी नं.1.

राजेश बिंदल, जे।

(1) याचिकाकर्ताओं ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, चंडीगढ़ (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 4.8.2015 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश पर आपत्ति जताते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत उसने चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि न्यायाधिकरण पंजाब राज्य के भीतर आने वाली संपत्तियों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था।

(2) याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए ऋण, प्रस्तुत प्रतिभूतियों और बैंक द्वारा ऋण को एन. पी. ए. के रूप में खंडीकृत करने के संदर्भ में मामले की पृष्ठभूमि देते हुए, याचिकाकर्ताओं विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पंजाब एंड सिंध बैंक, सेक्टर 47, चंडीगढ़ शाखा द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'सरफेसी अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 1 (अनुलग्नक पी-1) का एक मांग नोटिस जारी किया गया था।नोटिस में स्पष्ट रूप से पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों और चंडीगढ़ में स्थित घर का उल्लेख किया गया है।इसके तुरंत बाद, बैंक ने 22.6.2013 (अनुलग्नक पी-2) पर सरफेसी अधिनियम की खंड 13 (4) के तहत कब्जे का नोटिस जारी किया।

मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंड बैंक

और एक और (राजेश बिंदल, जे.)

(3) बैंक की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने 2013 की एस. ए. संख्या 334 दाखिल करके न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चंडीगढ़ में स्थित आवासीय संपत्ति के तहखाने और भूतल का भौतिक कब्जा ले लिया गया था, बैंक को संपत्ति की पहली मंजिल से याचिकाआदेश्ताओं को बेदखल किए बिना संपत्ति को बिक्री पर रखने की अनुमति दी गई थी।हालाँकि, दिनांक 04.08.2015 के आदेश के अनुसार, न्यायाधिकरण ने चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह राय दी गई थी कि न्यायाधिकरण के पास केवल पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।उपरोक्त आदेश को वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित किया गया है।

(4) याचिकाकर्ताओं विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऋण चंडीगढ़ स्थित बैंक से लिया गया था।इसे सुरक्षित करने के लिए, पंजाब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्थित संपत्तियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था।बैंक द्वारा एक ही नोटिस जारी किया गया है जिसमें पंजाब राज्य और चंडीगढ़ में स्थित सभी संपत्तियों के विवरण का उल्लेख करते हुए सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है।इसे चुनौती देने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण के समक्ष 2013 की एस. ए. संख्या 334 दायर की।एसए का मनोरंजन किया गया।चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति के संबंध में भी कई आदेश पारित किए गए थे, लेकिन अचानक एक विवादित आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति के संदर्भ में एसए में किया गया दावा पीठ के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र केवल पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों के लिए है।पीठ द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप विसंगत स्थिति और मुकदमेबाजी की बहुलता होगी।इसके परिणामस्वरूप एक ही मुद्दे से संबंधित दो अलग-अलग पीठों द्वारा अलग-अलग विरोधाभासी आदेश पारित किए जा सकते हैं, केवल इस कारण से कि प्रस्तुत प्रतिभूतियां अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में स्थित हो सकती हैं।के पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया था

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमीश जैन और एक अन्य बनाम आईसीआईसीआई बैंक में

लिमिटेड 1 जिसमें यह राय दी गई है कि सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत आवेदन उस न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति स्थित है, हालांकि इस तथ्य के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र के बारे में मुद्दा जहां सुरक्षित संपत्ति दो अलग-अलग न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, विचाराधीन नहीं था।मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के सिविल संशोधन (एम. डी.) संख्या 694 में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया गया था।

2014 (पी. डी.) मेसर्स एशियन हेल्थ एंड न्यूट्री फूड्स लिमिटेड और अन्य

1 4 (2012) ईसा पूर्व 552 (एफ. बी.) दिल्ली 78

बनाम ऋण वसूली न्यायाधिकरण और एक अन्य, पर निर्णय लिया

24.6.2014, जिसमें यह राय दी गई है कि कोई भी ऋणकर्ता सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत किसी भी न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का हकदार है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ हो।बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के देय ऋणों की वसूली के नियम 19 (संक्षेप में, 'डी. आर. टी. अधिनियम') और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 6 (संक्षेप में, 'डी. आर. टी. नियम') के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया था।हालाँकि योग्यता पर तर्क भी दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उन पर विस्तार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यह न्यायालय योग्यता के आधार पर इस मुद्दे पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन अभी भी न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

(5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के चूक करने और ऋण खाते को एन. पी. ए. घोषित किए जाने के कारण, बैंक को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पूरी तरह से गलत है।याचिकाकर्ताओं ने घर की पहली मंजिल को खाली करने का वचन दिया था, लेकिन आवश्यक कार्य नहीं किया गया।वे न्यायालय से किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

(6) पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और पेपर बुक का अध्ययन किया।

(7) शुरुआत में, यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान याचिका में यह न्यायालय केवल एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 17 के तहत दायर आवेदन के संदर्भ में न्यायाधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र के संबंध में मुद्दे की जांच कर रहा है, न कि गुण-दोष पर।

(8) अभिलेख पर निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने पंजाब एंड सिंध बैंक, सेक्टर 47, चंडीगढ़ शाखा से ऋण लिया था, जिसे एन. पी. ए. घोषित किया गया था। एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की खंड 13 (2) के तहत नोटिस 8.3.2013 पर जारी किया गया था जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित रूप से गिरवी रखी गई संपत्तियों के विवरण का उल्लेख किया गया था जिसमें पंजाब राज्य और चंडीगढ़ में स्थित संपत्तियां शामिल थीं।इसके बाद समान विवरणों का उल्लेख करते हुए सरफेसी अधिनियम की खंड 13 (4) के तहत कब्जे के लिए नोटिस दिया गया था।उपरोक्त नोटिस को याचिकाकर्ता नं. 1 न्यायाधिकरण के समक्ष 2013 का एस. ए. सं. 334 दाखिल करके, जिस पर 15.1.2014 पर विचार किया गया था।न्यायाधिकरण ने बैंक को चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति की नीलामी के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी, जबकि सुनवाई की तारीख तक उसे पहली मंजिल पर कब्जा करने से रोक दिया।आदेश में यह देखा गया कि तहखाने और भूतल का कब्जा ले लिया गया है।जिन कारकों पर विचार किया गया वे थे कि यह सर्दियों का मौसम था और ऋणकर्ता के पास मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंड बैंक नहीं था

और एक और (राजेश बिंदल, जे.)

स्थानांतरित करने के लिए कोई अन्य स्थान।उनका परिवार वहां रहता था।मामला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लंबित रहा कि याचिकाकर्ता नं। 2 ने इस न्यायालय में 2015 का सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2703 दायर किया था, जिसमें सूचना आयुक्त द्वारा बैंक द्वारा कुछ जानकारी को अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।यह बैंक खाते में कुछ लेनदेन के संदर्भ में था।2015 के आइए सं. 731 में पारित दिनांक 4.8.2015 के विवादित आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने राय दी कि चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति पर उसका कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए, उसके संदर्भ में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र केवल पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों के लिए है।पंजाब राज्य में स्थित संपत्तियों के संबंध में 2013 की एस. ए. संख्या 334 में कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया गया था, जबकि चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति के लिए, याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे खारिज कर दिया गया था।

(9) सरफेसी अधिनियम की खंड 17 में प्रावधान है कि उधारकर्ता सहित कोई भी व्यक्ति, जो सुरक्षित लेनदार या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम की खंड 13 (4) के संदर्भ में की गई किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, वह अधिकार क्षेत्र वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन दायर कर सकता है।ऋण वसूली न्यायाधिकरण को सरफेसी अधिनियम की खंड 2 (i) में डी. आर. टी. अधिनियम की खंड 3 (1) के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है।

(10) डी. आर. टी. अधिनियम की खंड 3 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, डी. आर. टी. अधिनियम के तहत ऐसे न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना करेगी, जिन्हें ऋण वसूली न्यायालय के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र को निर्दिष्ट कर सकती है जिसके भीतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

(11) प्रारंभ में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्यों के संदर्भ में अधिकार क्षेत्र जयपुर में न्यायाधिकरण को दिनांक 30.8.1994 की अधिसूचना के माध्यम से प्रदान किया गया था। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्यों के लिए अलग न्यायाधिकरण की अधिसूचना दिनांक 24.03.2000 को चंडीगढ़ में की गई। चंडीगढ़ में द्वितीय न्यायालय के गठन के साथ दिनांक 04.07.2006 की अधिसूचना के माध्यम से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ राज्यों का अधिकार क्षेत्र ऋण वसूली न्यायालय-1 को प्रदान किया गया था, जबकि पंजाब राज्य का अधिकार क्षेत्र ऋण वसूली न्यायालय-2 को प्रदान किया गया था। तृतीय न्यायालय के गठन के बाद अधिसूचना दिनांक 13.2.2017 के माध्यम से, क्षेत्रों को विभिन्न न्यायालयों को सौंपा गया था।डी. आर. टी.-I को पंजाब राज्य के कुछ जिलों और 80 जिलों को सौंपा गया था।

हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र।डी. आर. टी.-II को हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सौंपा गया था, जबकि डी. आर. टी.-III को डी. आर. टी.-I को सौंपे गए जिलों के अलावा पंजाब राज्य के जिले सौंपे गए थे।

(12) हाथ में मामले में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की खंड 13 (4) के तहत याचिकाकर्ताओं को कब्जे का नोटिस जारी किए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने पंजाब राज्य पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण के समक्ष 2013 का एसए नंबर 334 दायर किया।पजेशन नोटिस में, 3 संपत्तियां पंजाब राज्य में स्थित हैं, जबकि 1 संपत्ति चंडीगढ़ में स्थित है।आवेदन पर विचार किया गया।यह लंबित रहा और विभिन्न आदेश पारित किए गए।हालाँकि, अंत में आईडी 04.08.2015 दिनांकित विवादित आदेश के माध्यम से, न्यायाधिकरण ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण चंडीगढ़ में स्थित संपत्ति से संबंधित दावे पर विचार करने से इनकार कर दिया।

(13) मैसर्स एशियन में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ हेल्थ एंड न्यूट्री फूड्स लिमिटेड का मामला (ऊपर), कुछ हद तक माना गया समान प्रस्ताव जहां कब्जे की सूचना में उल्लिखित संपत्तियां न केवल तमिलनाडु राज्य के विभिन्न जिलों में, बल्कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी स्थित थीं।इसमें ऋण स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, सलेम शाखा से लिया गया था।सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत ऋण वसूली न्यायालय, मदुरै पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर वापस कर दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायालयों से संपर्क करना चाहिए जिनके अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक संपत्ति स्थित थी।याचिकाकर्ताओं ने उस कब्जे के नोटिस को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया था जिसमें विभिन्न राज्यों में स्थित सभी संपत्तियों का विवरण दिया गया था।उक्त आदेश पर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष आपत्ति जताई गई थी।डी. आर. टी. अधिनियम की खंड 19 और अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाले डी. आर. टी. नियमों के नियम 6 की जांच और विश्लेषण करते हुए, यह राय दी गई कि आवेदन को वापस करने में न्यायाधिकरण की कार्रवाई अवैध थी और मदुरै में न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार करने की आवश्यकता थी।सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का भी संदर्भ दिया गया था, विशेष रूप से इसकी खंड 17 में प्रक्रिया की निष्पक्षता और निष्पक्षता के आधार पर सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था और यह भी कहा गया था कि मुकदमे के एक पक्ष को कार्रवाई के एक ही कारण के लिए अलग-अलग अदालतों में नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न संपत्तियों से संबंधित अधिकार क्षेत्र, जिनके लिए राहत मांगी गई है, अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में स्थित हैं, हालांकि वाद हेतुक समान है।उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरास को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“25. उपरोक्त मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंड बैंक की पूर्ण पीठ के निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करते हैं।

81

और एक और (राजेश बिंदल, जे.)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमीश जैन के मामले में यह देखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का विचार था कि सरफेसी अधिनियम की खंड 17 (1) में प्रदान की गई अपील के उपचार के लिए क्षेत्रीय

अधिकार क्षेत्र का प्रश्न डी. आर. टी. अधिनियम के आलोक में निर्धारित नहीं किया जा सकता है जो संहिता की खंड 16 में निहित सिद्धांतों से अलग है।दूसरे शब्दों में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने संहिता की खंड 16 के अंतर्निहित सिद्धांतों को सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत अपील पर लागू किया। पूर्ण पीठ की राय थी कि डी. आर. टी. अधिनियम 1993 अकेले संहिता की खंड 16 से अलग है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1993 के अधिनियम के तहत एक आवेदन केवल ऋण की वसूली के लिए है और जरूरी नहीं कि एक अचल संपत्ति पर अधिकार के प्रवर्तन के लिए हो।दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह भी कहा कि सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत एक अपील को डीआरटी अधिनियम 1993 की खंड 19 के तहत एक आवेदन के बराबर नहीं माना जा सकता है।अपने फैसले के पैरा 26 में, पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"26.इस प्रकार यह देखा जाएगा कि सी. पी. सी. की खंड 16 के सिद्धांत सरफेसी अधिनियम की खंड 14 और 17ए में परिलक्षित होते हैं। सुरक्षित लेनदार को किसी भी न्यायालय से सहायता प्रदान नहीं की गई है, बल्कि केवल उस न्यायालय से सहायता प्रदान की गई है जिसके अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित संपत्ति स्थित है।यह बिना किसी कारण के नहीं है।केवल सीएमएम/डीएम ही ऐसी सहायता प्रदान कर सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसी सुरक्षित संपत्ति स्थित है।

26. जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सही कहा है, सरफेसी अधिनियम 2002 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बारे में बात नहीं करता है।यह केवल (i) खंड 17 (1) के मामले में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायाधिकरण और (ii) 1993 के अधिनियम और उसमें जारी नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदन के निपटारे के बारे में बात करता है।इसलिए, इस मुद्दे को हल करने के लिए हमारे पास केवल दो विकल्प उपलब्ध हैं।पहला केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम 51) की खंड 19 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में प्रिस्क्रिप्शन और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 6 के खंड (ए), (बी) और (सी) में निहित प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जाना है।यदि यह स्वीकार्य नहीं है, (दिल्ली 82 की पूर्ण पीठ की राय के अनुसार)

उच्च न्यायालय), तब एकमात्र अन्य विकल्प उन सिद्धांतों से मार्गदर्शन की तलाश करना है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 16 के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की अवधारणा को रेखांकित करते हैं।

27. जहाँ तक मामले का संबंध है, हमें दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ तक जाने की आवश्यकता नहीं है।यदि हम डी. आर. टी. अधिनियम, 1993 की खंड 19 (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) और डी. आर. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 6 के खंड (ए), (बी) और (सी) पर वापस आ सकते हैं, तो याचिकाकर्ता यहाँ एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की खंड 17 (1) के तहत किसी भी ऋण वसूली न्यायालय की फाइल पर आवेदन दायर करने के हकदार हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऋण वसूली का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ है।

28. भले ही 1993 के अधिनियम की खंड 19 (1) और डी. आर. टी. (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 6 को लागू नहीं माना जाता है, हमें उन सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होगा जो सामान्य कानून से उत्पन्न हुए और सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 16 से 20 में समाप्त हुए।ऐसी स्थिति में, खंड 17 याचिकाकर्ता के बचाव में जाएगी।सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 17 के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही पक्ष को वाद हेतुक एक ही कारण के लिए विभिन्न न्यायालयों में नहीं भेजा जाता है, केवल इसलिए कि मांगी गई राहत विभिन्न क्षेत्राधिकारों में स्थित विभिन्न संपत्तियों के संबंध में हैं।इसलिए, जो संहिता की खंड 17 को रेखांकित करता है, वह समानता और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर आधारित सामान्य सिद्धांत हैं।इस बात का कोई कारण नहीं है कि संहिता की खंड 17 को रेखांकित करने वाले मौलिक सिद्धांतों को सरफेसी अधिनियम की खंड 17 के तहत कार्यवाही पर क्यों लागू नहीं किया जा सकता है। जिन मूल सिद्धांतों के आधार पर संहिता की खंड 17 में एक इमारत का निर्माण किया गया है, वे केवल इसलिए अछूत नहीं बनते हैं क्योंकि वे सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल हैं और केवल इसलिए कि डी. आर. टी. अधिनियम 1993 में कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं।

29. वास्तव में, उच्चतम न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में आवेदन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों को भी मेसर्स गुप्ता एंड कंपनी और अन्य बनाम पंजाब एंड सिंड बैंक के अनुच्छेद 226 के तहत उत्पन्न होने वाले उचित मामलों में लागू किया जा सकता है।

83

और एक और (राजेश बिंदल, जे.)

संविधान।इसलिए इसी सादृश्य से, ऋण वसूली न्यायाधिकरण को एस. ए. आर. एफ. ई. ए. एस. आई. अधिनियम की खंड 17 के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही में लागू होना चाहिए, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की खंड 17 में अंतर्निहित सिद्धांत हैं।

30. उपरोक्त को देखते हुए, पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा किए गए समर्थन को दरकिनार कर दिया जाता है।याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष कागजात का प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया जाता है।यदि अन्य सभी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो न्यायाधिकरण आवेदन की संख्या निर्धारित करेगा और इसे सुनवाई के लिए लेगा।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने केवल एक मुद्दे पर विचार किया है कि क्या विचाराधीन न्यायाधिकरण के पास याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है या नहीं।हमने किसी अन्य मुद्दे पर विचार नहीं किया है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

(14) मेसर्स एशियन हेल्थ एंड न्यूट्री में उपरोक्त निर्णय

फूड्स लिमिटेड के मामले (उपरोक्त) के बाद इस मामले की एकल पीठ बनी।

मेसर्स एच. आर. ए. पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम अधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य 2 उस मामले में भी

गिरवी रखी गई संपत्तियाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित थीं।

(15) ऊपर वर्णित कारणों से, न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 4.8.2015 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को गुण-दोष के आधार पर उससे निपटने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।2013 की लंबित एस. ए. संख्या 334 में पहले से ही निर्धारित तिथि पर विचार किया जाएगा।

(16) रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

ए. जैन

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुभाष चन्द्र